प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (दांडिक) क्रमांक 6531/2011

वेदप्रकाश चौरे

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु दिनांक 25 जुलाई 2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>एकल पीठ.: माननीय न्यायमूर्ति श्री</u> टी.पी. शर्मा

<u>रिट याचिका (दांडिक) क्रमांक 6531/2011</u>

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

याचिकाकर्ता : **वेदप्रकाश चौरे**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री टी. के. तिवारी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5 की ओर से यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

.....

<u>आदेश</u>

<u>(25.07.2012)</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा,

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 4—अपर सचिव, विधि एवं विधायी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा पारित दिनांक 23.06.2011 के स्वीकृति आदेश (अनुलग्नक-पी/3) को अभिखण्डित किए जाने हेतु परमादेश रिट जारी किए जाने की प्रार्थना की है।

2. रिट याचिका में किए गए कथनों तथा याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के अनुसार, याचिकाकर्ता की पदस्थापना ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय, गुंडरदेही, जिला दुर्ग में उप-अभियंता के पद पर की गई थी। याचिकाकर्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में '1988 का अधिनियम') की धारा 7, 13(1)(घ्) एवं 13(2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना की गई। याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दिनांक 23.06.2011 उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा प्रदान की गई है, जो न तो अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है और न ही याचिकाकर्ता को उसके पद से हटाने का अधिकार रखता है। याचिकाकर्ता के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने तथा उसे पद से हटाने हेतु सक्षम प्राधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग का आयुक्त है। उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति अधिकारिता के अभाव में है तथा उक्त आधार पर आक्षिपित स्वीकृति आदेश को अभिखण्डित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा दिनांक 23.06.2011 के स्वीकृति आदेश एवं दिनांक 26.05.2003 तथा 05.06.2006 के ज्ञापनों का अवलोकन किया गया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 26.05.2003 के ज्ञापन के अनुसार केवल विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर के प्रमुख सचिव एवं सचिव ही अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं, वह भी केवल उन मामलों में जहाँ संबंधित विभाग द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सहमति नहीं दी गई हो। जबकि आक्षेपित स्वीकृति आदेश के कंडिका-2 के अनुसार प्रशासनिक विभाग अर्थात् पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अभियोजन की

स्वीकृति हेतु पहले ही सहमति प्रदान कर दी गई थी। अतः राज्य के विधि विभाग का कोई भी प्राधिकारी अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम नहीं था।

इस संबंध में रमेश लाल जैन *बनाम नागेंदर सिंह राना[1] एवं अन्य* के निर्णय का अवलंब लिया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जो प्राधिकारी अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम नहीं है, उसके द्वारा दी गई स्वीकृति, स्वीकृति मानी ही नहीं जाएगी और वह अभिखण्डित किए जाने योग्य है।

इसके अतिरिक्त *राज्य पुलिस निरीक्षक, विशाखापत्तनम बनाम सूर्य शंकरम करी*[2] के निर्णय का भी अवलंब लिया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत स्वीकृति संबंधित सरकार द्वारा प्रदान की जानी आवश्यक है, जबकि 1988 के अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जानी आवश्यक है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई समेकित (कॉम्पोजिट) स्वीकृति, 1988 के अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका का दृढतापूर्वक विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जो कि राज्य का एक विभाग है, का कर्मचारी था तथा याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का अधिकार उसी विभाग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को है। चूँकि उक्त विभाग राज्य का ही एक विभाग है, अतः राज्य सरकार भी याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने अथवा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम है। आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित स्वीकृति उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारी के माध्यम से प्रदान की गई है, और इस प्रकार अभियोजन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही प्रदान की गई है।

6. दिनांक **26.05.2003** के ज्ञापन का सुसंगत **अंश** इस प्रकार है :—

---

1 (2006) 1 SCC 294
2 (2006) 7 SCC 172

"इस विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन, सामन्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक एफ. ए. 3-37/99 एफ (1) दिनांक 5.08.2000 को संशोधित करते हुए इस आशय के आदेश प्रसारित किए गए है कि विधी एवं विधायी कार्य विभाग के भारसाधक प्रमुख सचिव / सचिव निम्नलिखित श्रेणियो के शासकीय सेवको के मामलो को छोडकर शेष शासकीय सेवको के अभियोजन स्वीकृति के मामलों का निपटारा करेंगे।

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के सदस्यो से संबधित अभियोजन स्वीकृति के मामले;

(ख) राज्य सेवा के ऐसे अधिकारी जो राज्य शासन के सचिव के वेतनमान या इससे उच्चतर वेतनमान में कार्यरत हो, से संबंधित अभियोजन स्वीकृति के मामले;

(ग) अभियोजन स्वीकृति के ऐसे मामले जिनमें प्रशासकीय विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति दिए जाने पर असहमति व्यक्त की गई है परंतु विधि विभाग का मत अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने के पक्ष में है।

कार्य नियमों के भाग चार के निर्देश (एक) (ञ) तथा (यय) के परिप्रेक्ष्य में मुख्य मंत्रीजी ने यह भी निर्देश दिए है कि उपर लिखित तीनो प्रकार के अभियोजन की मंजूरी से संबंधित मामले समन्वय में प्रस्तुत किए जाएंगे तथा इन मामलो में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने की प्रकिया निम्नानुसार रहेगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रारंभ में, दिनांक 26.05.2003 के ज्ञापन के कंडिका-2 के अनुसार, श्रेणी-ग के अंतर्गत आने वाले प्रकरण वर्तमान याचिका से संबंधित थे तथा अभियोजन की स्वीकृति आदेश हेतु समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। तथापि, उक्त ज्ञापन में ज्ञापन क्रमांक एफ 1-2/2003/1-6 (7), रायपुर, दिनांक

05.06.2006 द्वारा संशोधन किया गया और दिनांक 26.05.2003 के ज्ञापन के कंडिका-2 में प्रयुक्त शब्द 'आदेश हेतु' को शब्द 'परिशीलन' से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अर्थात् श्रेणी-ग में आने वाले अधिकारियों के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव हैं तथा विधि विभाग द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति को केवल परिशीलन हेतु माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 की उपधारा (2) एवं (3) के अंतर्गत कार्य संचालन के नियम बनाए हैं तथा निर्देश भी जारी किए हैं। कार्य संचालन नियमों के नियम 13 के अंतर्गत जारी अनुपूरक निर्देशों (संक्षेप में 'अनुपूरक निर्देश') के अंतर्गत निर्देश क्रमांक 2 एवं 2क इस प्रकार हैं :—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"A- सचिवों की कार्य-प्रणाली

कार्य संचालन के नियमों, विभाग की प्रचलित प्रक्रिया तथा माननीय मुख्यमंत्री या प्रभारी मंत्री के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, सचिव नियमित प्रकृति के मामलों तथा उन मामलों का निराकरण कर सकता है जिनमें या तो नीति से संबंधित कोई प्रश्न सम्मिलित नहीं है अथवा नीति से संबंधित प्रश्न पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।

स्पष्टीकरण—

इस निर्देश के प्रयोजनार्थ 'सचिव' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(i) मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव अथवा अपर सचिव; तथा

(ii) बजट समन्वय एवं संसाधन विश्लेषण निदेशक अथवा उप सचिव या अवर सचिव, जिन्हें उपर्युक्त खंड (i) में उल्लिखित किसी भी सचिव द्वारा ये शक्तियाँ सौंप दी गई हों।

2A. निर्देश क्रमांक 2 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, परंतु कार्य संचालन के नियमों के अधीन रहते हुए, किसी विभाग को आबंटित किसी विशिष्ट कार्य का निराकरण—

(i) संबंधित विभाग के सचिव द्वारा किया जा सकता है, यदि माननीय मुख्यमंत्री या प्रभारी मंत्री ऐसा निर्देश दें;

अथवा

(ii) मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, विशेष सचिव अथवा किसी अन्य सचिव द्वारा किया जा सकता है, यदि माननीय मुख्यमंत्री ऐसा निर्देश दें। और ऐसे सचिव द्वारा किया गया निराकरण, सरकार द्वारा किया गया निराकृत माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण—

इस निर्देश के प्रयोजनार्थ, किसी प्रकरण का निराकरण करने की शक्ति में निम्नलिखित शक्तियाँ भी सम्मिलित होंगी—

(i) पक्षकारों को सुनना;

(ii) प्रकरण में अंतिम निर्णय तक पहुँचने हेतु आवश्यक अथवा उससे संबद्ध ऐसी जाँच करना तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही करना;

(iii) किसी विधि के किसी भी प्रावधान द्वारा अथवा उसके अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अंतिम आदेश पारित करना तथा उसके लिए आवश्यक आगे की कार्रवाई करना;

(iv) किसी योजना को स्वीकृत करना अथवा उसमें संशोधन करना तथा उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी आवश्यक आगे के कदम उठाना, जिनमें यथास्थिति केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के साथ अथवा बिना, मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 68-डी के अंतर्गत उसका प्रकाशन भी सम्मिलित है।

9. निर्देश क्रमांक 2 के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री अथवा प्रभारी मंत्री किसी सचिव को प्रकरणों के निराकरण हेतु अधिकृत करने के लिए सक्षम हैं तथा 'सचिव' में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव अथवा अपर सचिव सम्मिलित हैं। निर्देश क्रमांक 2क के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री किसी विशिष्ट कार्य को अपने किसी भी सचिव को आबंटित करने हेतु सक्षम हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने का कार्य आदेश क्रमांक एफ A-3-37/99/F(1) दिनांक 05.08.2000 के माध्यम से विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव एवं सचिव को आबंटित किया गया है तथा अनुपूरक निर्देशों के निर्देश क्रमांक 2 के अनुसार 'सचिव' में अपर सचिव भी सम्मिलित है।

वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी क्रमांक 4 ने स्वीकृति स्वयं के लिए नहीं बल्कि राज्य की ओर से प्रदान की है, जिसे "छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार" शब्दों का उल्लेख कर दर्शाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. *राज्य पुलिस निरीक्षक* [2] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होना चाहिए तथा जो प्राधिकारी अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम नहीं है, उसके द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति अभिखण्डित किए जाने योग्य है। अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किए जाने के प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है :—

> "22. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने एक गंभीर त्रुटि यह भी की कि उन्होंने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि श्री देबराज पांडा, जिन्होंने स्वयं को अ.सा.-37 के रूप में प्रस्तुत किया था, दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालय के वरिष्ठ मंडलीय परिचालन प्रबंधक होने के बावजूद, वर्तमान उत्तरवादी के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नहीं थे। अपने साक्ष्य में उन्होंने यह स्वीकार किया कि नियमों के अनुसार वे उसे सेवा से हटाने के लिए सक्षम

प्राधिकारी नहीं थे। तथापि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालय के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक को सेवा से हटाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई थी। उन्होंने आगे यह भी कहा—

यह कहना सत्य नहीं है कि केवल महाप्रबंधक एवं मंडल रेल प्रबंधक ही अभियुक्त को सेवा से हटाने तथा उसके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं। यह कहना भी सत्य नहीं है कि मैं अभियुक्त को सेवा से हटाने तथा उसके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम नहीं हूँ। कुछ अधिकारियों के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन दक्षिण-पूर्व रेलवे मुख्यालय द्वारा एक पुस्तिका में किया गया है, जिसे 'स्थापना संबंधी मामलों में शक्तियों का प्रत्यायोजन' कहा जाता है।"

23. कथित शक्तियों का प्रत्यायोजन कभी भी प्रकाश में नहीं आया। उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालने हेतु कोई अवलंब नहीं किया जा सकता था कि उक्त साक्षी अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत था। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने मामले के इन पहलुओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26 . जब अभियोजन की स्वीकृति विधि द्वारा अधिकृत न होने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है, तो वह अधिकारिता के अभाव में होने के कारण अकृत होती है।

11. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा नहीं, बल्कि अनुपूरक निर्देशों के निर्देश क्रमांक 2 एवं 2क के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

12. रमेश लाल जैन[1] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 1988 के अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति उसी प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जो अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम हो। वर्तमान प्रकरण में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार का ही

एक विभाग है, अतः राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग में पदस्थ सभी ऐसे कर्मचारियों के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम है।

13. विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अपर सचिव, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो, की अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने की क्षमता के प्रश्न पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने डी.सी. लेखरा *बनाम राज्य मध्यप्रदेश* [3]के प्रकरण में यह अभिनिर्रधारित किया है कि राज्य सरकार द्वारा विधि विभाग के अपर सचिव के माध्यम से प्रदान की गई स्वीकृति, 1988 के अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत वैध स्वीकृति है।

14. स्वीकृति आदेश, दिनांक 26.05.2003 का ज्ञापन, दिनांक 05.06.2006 का ज्ञापन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 की उपधारा (2) एवं (3) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बनाए गए कार्य संचालन के नियम तथा अनुपूरक निर्देशों के निर्देश क्रमांक 2 एवं 2क के अनुसार, राज्य सरकार याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति अपने अधिकारी अर्थात् उत्तरवादी क्रमांक 4 के माध्यम से प्रदान करने हेतु सक्षम थी। उत्तरवादी क्रमांक 4 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान किए जाने में राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसी अवैधता नहीं की गई है, जिसके कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी हस्तक्षेप अथवा रिट जारी किए जाने की आवश्यकता हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

3 2000 Cri.L.J.4795

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by ---- Vijay Kumar Sahu, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur